

15 फरवरी को मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, भिलाई सीमा अंतर्गत संचालित पशुवध गृह एवं समस्त मांस, मटन विक्रय की दुकानें 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर बंद रखी जाएगी। उक्त तिथि को समस्त पशुवध गृह, जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्र को बंद करते हुए शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे।